मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 119/2025

1. आदराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. नेतराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

ब ना म

– वादीगण

1. प्रकाशचन्द पुत्र बोगाराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा
डिक्री

दिनांक :– 27/08/2025

वादीगण की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 1 अधिवक्ता रमेश चारण व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर डिक्री की जाती है कि, तहसीलदार पीलीबंगा से प्राप्त रिपोर्ट एवं जलसंसाधन विभाग से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि –

चक 34 एनडीआर तहसील पीलीबंगा के खाता संख्या 45 के पत्थर नंबर 93/349 (4) के किला नंबर 20/1/0.064, 21/3/0.063 कुल 0.127 है0 बैजानिब पश्चिमी दिशा के वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष रकबा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगा। इसी अनुसार अमल दरामद राजस्व अभिलेख मे किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अमल दरामद किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदारी जो है वही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 27/08/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:53:02 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा